प्रतिलिपि आदेश दिनांक 1-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर पु0क्र0 निग0 1234-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 22-7-2000 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरणक्रमांक 289/स्व पु0/निग0/अ-19/99-2000.

श्रीमती सुधा पुत्री प्रेमनारायण
निवासी सटई रोड छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1234/III/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
1-5-2014	यह निगरानी अपर कलेक्टर, छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक (अपठनीय)/अ–19/99–2000 स्व.प्रे.नि. में पारित आदेश दि. 7–8–2000 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को निगरानी ग्राह्यता पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार ग्राम सूरजपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/4 ख रकबा 4.90 एकड़ के वह वर्ष 1970 से भूमिस्वामी है किन्तु उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना अपर कलेक्टर ने भूमि बन विभाग के स्वामित्व पर दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश दिये है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 7–8–2000 के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम सूरजपुरा तहसील छतरपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/4 ख रकबा 4–90 एकड़ जो बन विभाग के अधिसूचित क्षेत्र में है, आवेदक के अनुसार उसे तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 60/अ–19/83–84 से पटटा मिला है। तहसीलदार छतरपुर ने प्रतिवेदन कमांक 343/बी–121 / 99–2000 दिनांक 22–7–2000 प्रस्तुत कर उक्तांकित भूमि बन	

विभाग के सॅसूचित क्षेत्र में होकर बन क्षेत्र की होना बताया है, जिस पर अपर कलेक्टर, छतरपुर ने आदेश दिनांक 7–8–2000 से तहसीलदार के प्रतिवेदन को सही होना मानकर बन भूमि दर्ज करने के आदेश दिये हैं। वैसे भी बन विभाग की भूमि किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं की जा सकती।

4/ उपरोक्त कारणों से अपर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक (अपठनीय)/अ–19/99–2000 स्व.प्रे.नि. में लिया गया निर्णय दिनांक 7–8–2000 उचित पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

सदस्य